CLARIFICATION ON THE STATEMENT BY MINISTER RE. INCIDENT OF KILLINGS BY SUSPECTED MILITANTS IN DISTRICT PILIBHIT, UTTAR PRADESH—Contd.

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : मोहम्मद सलीम, तीन मिनट ।

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल) : उप सभाध्यक्ष महोदय, गैर-सरकारी मामले पर जब समय छोड़ दिया तो सरकारी मामले पर समय का ध्यान रखेंगे ।

उपसभाध्यक्ष जी, पीलीभीत मामले पर दो रोज पहले यह बयान मंत्री महोदय द्वारा दिया गया था । एक मामला है । जब भी गृह मंत्री जी बयान देते हैं, मैं बराबर यह कहता रहता हूं कि जो कुछ राज्य सरकार बताती है उसको वह हमारे पास कापी करके डाल देते हैं । इसमें भी ऐसा ही लग रहा है । केन्द्र सरकार की भी इसमें अपनी बात है और सरकार की भी अपनी बात है । चूंकि आज जो आतंकवाद का सवाल है और जिस तरह से वह बढ़ रहा है, यह किसी एक राज्य सरकार का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि हम जिस तरह से देश को चला रहे हैं और जो नीति हम ले रहे हैं, इसके कारण देश के भिन्न प्रांतों में आतंकवाद फैलता जा रहा है । पीलीभीत में जो फेक एनकाउंटर हुआ था उसके बाद से कई घटनाएं यहां होती रही । तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार की रिपोर्ट तो यहां है कि—संदेह किया जाता है कि आतंकवादी लोग, जिनके गिरोह उस जंगल में छिपे हुए हैं, उनके द्वारा उन गरीब लोगों की हत्या हुई । लेकिन केन्द्र सरकार को अपनी एजेंसी के जरिए यह मालूम कराना चाहिए था कि इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है और कहां तक जिम्मेदार है, क्योंकि आजकल यह बातें नई नहीं हैं कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए बहुत सी घटनाएं यहां तक कि टेरोरिस्ट आर्गनाइजेशन को इस्तेमाल किया जाता है । हमारे पास त्रिपुरा की मिसाल है और दूसरी जगहों पर भी पुलिस के जरिए सरकार की एजेंसी के जरिए अपनी कुछ स्वार्थ सिद्धि के लिए फक एनकाउंटर कराया जाता है । तो संकीर्ण स्वार्थ के लिए ऐसा कुछ कराया गया या नहीं, यह भी ध्यान रखना चाहिए मैं अगर स्टेटमेंट देखूं तो पैराग्राफ–2 में यह कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट से जो कुछ मिला है उसके अनुसार यह बयान दे रहे हैं । लेकिन बाद में जब यह पता चलता है कि कुछ अपनी बातें भी हैं । तो इंफार्मेशन के अनुसार कौन सी बात स्टेट गवर्नमेंट की है और सी बातें केन्द्र सरकार की है, वह इस बयान में स्पष्ट नहीं है । मंत्री महोदय, क्या यह स्पष्ट करेंगे कि कौन-कौन से विषय वह राज्य सरकार से मिली सूचना के अनुसार दे रहे हैं और कौन-कौन विषय अपनी राय के अनुसार दे रहे हैं ।

पैराग्राफ–3 में यह कहा जाता है,

"The police launched the search and combing operations around mid-day on 3rd August."

तो तीन रोज बाद लाशें बरामद हुई । लेकिन कब से यह ऑपरेशन शुरू हुआ, इसका इसमें जिक्र नहीं है । क्या यह जानकारी मिलने के साथ ही पुलिस ने काम करना शुरू कर दिया ? जैसे तीन तारीख को दोपहर यह लाशें मिली तो यह खोज का काम कब शुरू हुआ, यह भी यहां बयान में कहना चाहिए था, ताकि हमें मालूम हो ।

पैराग्राफ–4 में कहा गया है कि,

"It is suspected that two or three gangs..."

गिरोह दो हैं या तीन हैं, यह भी हमें नहीं मालूम । हम ऐसे मामलों से निबटने के लिए क्या कोई एक्शन प्लान रखते हैं । चाहे वह राज्य सरकार हो, चाहे केन्द्र सरकार का गृह मंत्रालय हो, उन्हें यह नहीं मालूम कि तराई के जंगल के क्षेत्र में कितने गिरोह हैं, कौन से लोग रहते हैं । पकड़ना तो दूर रहा, उससे निबटना तो और दूर की बात है । दो गिरोह या तीन गिरोह या चार गिरोह हैं, यह भी हमें नहीं मालूम । पार्लियामेंट में जो बयान दिया जा रहा है, राज्य

[श्री मोहम्मद सलीम]

सरकार ने जो रिपोर्ट भेजी है, वह कहती है कि हो सकता है दो ग्रुप भी हैं, तीन ग्रुप भी हैं, कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं, यह जानकारी सरकार रखती नहीं तो उससे कैसे निबटेगी?

मैं पैराग्राफ–6 पर नहीं जाता। उसमें रुपये देने की बात है। हम लाशों की कीमत लगाते हैं कि कितने रुपये किसको मिले। लेकिन पैराग्राफ–7 में कहा है कि इससे निबटने के लिए राज्य सरकार को सोफिस्टिकेटिड हथियार दिए हैं। आतंकवादियों के पास अगर ए०के० 47 एल०एम०जी० है तो पुलिस को भी यह दे देने से ही हम इस आतंकवाद से नहीं निबट सकते। पंजाब में या कश्मीर में हमारे फौजी या अर्द्ध फौजी जो पैरा मिलट्री फार्सेज हैं, उनके पास हथियारों की कमी नहीं है। लेकिन इससे हम राजनीतिक दृष्टिकोण से निबटने की कोशिश करेंगे। क्या ऐसी भी कोई कार्रवाई करने के लिए चाहे वह राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो, उसके पास कोई प्रोग्राम है? वरना हम पंजाब, कश्मीर, आसाम, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र अभी तक मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में यह देखते हैं। हम यह नहीं समझते कि सोफिस्टिकेटेड हथियार मिल जाने से ही इससे हम निबट पाएंगे। मैं मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि ये हथियार कब मुहैया कराए गये हैं। ये हथियार कब दिए हैं। पैराग्राफ 8 में लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार को यह कहा गया है कि इंडो रिजर्व बटालियन बनाई जाए जिसमें आप 50 प्रतिशत खर्चा देंगे और बाकी 50 प्रतिशत लोन देंगे। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह निर्णय सरकार ने कब लिया? हमारे पास सी०आर०पी०एफ० है, बी० एस०एफ० है, आई०टी०बी०पी० है, और भी बहुत सी ऐसी पैरा मिलिटरी फोर्सेज हैं। जैसे मैं सोफिस्टिकेटेड हथियारों के बारे में बात कर रहा था, वैसे ही इस बारे में पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी से स्पष्ट रूप से कि ये इंडो रिजर्व बटालियन बनाने का फैसला कब लिया गया, कहां लिया गया और राज्य सरकारों को भेजा है तो राज्य सरकारों के पास से क्या जवाब मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार से तो उनको सूचना प्राप्त नहीं हुई है लेकिन दूसरी राज्य सरकारों से इस बारे में क्या सूचना मिली है।

महोदय, पैराग्राफ 9 में लिखा है कि हमने एक सैल बनाया है गृह मंत्रालय में केंद्रीय रूप से और स्टेट्स और यूनियन टैरिटरीज़ को भी ऐसा सैल बनाने का अनुरोध किया गया है। मैं बयान में नहीं जा रहा हूं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कब तक हम ऐसे बयान देते रहेंगे और अफसोस जाहिर करते रहेंगे और सैल बनाते रहेंगे? धन्यवाद।

شری محمد سلیم (پشچمی بنگال): آپ سبھا ادھیکش مہودے۔ غیر سرکاری معاملے پر جب سمے چھوڑ دیا تو سرکاری معاملے پر سمے کا دھیان رکھیں گے۔

آپ سبھا ادھیکش جی۔ پہلی بھیت پر دو روز پہلے یہ بیان منتری مہودے دوارا دیا گیا تھا۔ ایک معاملہ ہے جب بھی گرہ منتری جی بیان دیتے ہیں میں برابر یہ کہتا رہتا ہوں کہ جو کچھ راجیہ سرکاری بتاتی ہے اس کو وہ ہمارے پاس کاپی کر کے ڈال دیتے ہیں۔ اس میں بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ کیندر سرکار کی بھی اس میں اپنی بات ہے۔ اور راجیہ سرکار کی بھی اپنی بات ہے چونکہ آج جو آتنکواد کا سوال ہے اور جس طرح سے وہ بڑھ رہا ہے۔ یہ کسی ایک راجیہ سرکار کا وشے نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ ہم جس

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

الوسار یہ بیان دے رہے ہیں۔ لیکن بعد میں جب یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ اپنی باتیں بھی ہیں تو انفارمیشن کے انوسار کون سی بات اسٹیٹ گورنمنٹ کی ہے اور کون سی باتیں کیندر سرکار کی ہیں وہ اس بیان سے سپیشٹ نہیں ہیں متنی مہودے۔ کیا یہ سپیشٹ کریں گے کہ کون کون سے وشے وستو راجیہ سرکار سے ملی سوچنا کے انوسار دے رہے ہیں اور کون سے اپنی رائے سے دے رہے ہیں۔

پیراگراف ۳ میں یہ کہا جاتا ہے۔

"The police launched the search and combing operations around mid-day on 3rd August."

تو میں روز بعد لاشیں برآمد ہوئیں لیکن کب سے یہ آپریشن شروع ہوا۔ اس کا اس میں ذکر نہیں ہے کیا یہ جانکاری ملنے کے ساتھ ہی پولیس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ جیسے تین تاریخ کو دوپہر یہ لاشیں ملیں تو یہ کھوج کا کام کب شروع ہوا یہ بھی یہاں بیان میں کہنا چاہئے تھا تاکہ ہمیں معلوم ہو۔

پیراگراف ۴ میں کہا گیا ہے کہ

"It is suspected that two or three gangs..."

گروہ دو ہیں یا تین ہیں۔ یہ بھی ہمیں طرح سے دیش کو چلا رہے ہیں۔ اور جو مہنگائی ہم جھیل رہے ہیں۔ اس کے کارن دیش کے بھن پرانتوں میں آتنکواد پھیلتا جا رہا ہے پیلی بھیت میں جو فیک اینکاؤنٹر ہوا تھا۔ اس کے بعد سے کئی گھٹنائیاں یہاں ہوتی رہی تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ راجیہ سرکار کی رپورٹ تو یہاں ہے کہ سدبھاؤ یہ کیا جاتا ہے کہ آتنکوادی لوگ جن کے گروہ اس جنگل میں چھپے ہوئے ہیں۔ ان کے دوارا ان غریب لوگوں کی ہتیا ہوئی لیکن کیندر سرکار کو اپنی ایجنسی کے ذریعے یہ معلوم کرنا چاہئے تھا کہ اس گھٹنا کے لئے کون ذمہ دار ہے اور کہاں تک ذمہ دار ہے۔ کیوں کہ آجکل یہ باتیں نئی نہیں ہیں کہ راج نیتک لابھ اٹھانے کے لئے بہت سی گھٹنائیں یہاں تک کہ ٹیرورسٹ آرگنائزیشن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ترپورہ کی مثال ہے اور دوسری جگہوں پر بھی پولیس کے ذریعے سرکار کی ایجنسی کے ذریعے اپنی کچھ سوارتھ سدھ کرنے کے لئے فیک اینکاؤنٹر کرایا جاتا ہے تو سنکیرن سوارتھ کے لئے ایسا کچھ کا کرایا گیا یا نہیں۔ یہ بھی دھیان رکھنا چاہئے۔ دوسرے میں اگر اسٹیٹمنٹ دیکھوں تو پراگراف ۲ میں یہ کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ سے جو کچھ ملا ہے اس کے

معلوم نہیں۔ ہم ایسے معاملوں سے نپٹنے کے لئے کیا کوئی ایکشن پلان رکھتے ہیں۔ چاہے وہ راجیہ سرکار ہو چاہے کیندر سرکار ہو اگر یہ منتر الیہ ہو۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ترائی کے جھیتر میں کتنے گروہ ہیں۔ کون سے لوگ رہتے ہیں۔ پکڑنا تو دور رہا اس سے نپٹنا تو اور دور کی بات ہے۔ دو گروہ یا تین گروہ یا چار گروہ ہیں۔ یہ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ پارلیمنٹ میں جو بیان دیا جا رہا ہے، راجیہ سرکار نے جو رپورٹ بھیجی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دو گروپ بھی ہیں۔ تین گروپ بھی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کیا کر رہے ہیں۔ یہ جانکاری سرکار رکھتی ہے نہیں تو اس سے کیسے نپٹے گی۔

میں پیراگراف ۶ پر نہیں جاتا اس میں روپے دینے کی بات ہے۔ ہم لاشوں کی قیمت لگاتے ہیں کہ کتنے روپے کس کو ملے۔ لیکن پیراگراف ۷ میں کہا ہے کہ اس سے نپٹنے کے لئے سرکار کو سوفسٹیکیٹڈ ہتھیار دیئے ہیں آتنکوادیوں کے پاس اگر اے۔ کے ۴۷، ایل۔ ایم۔ جی ہے تو پولیس کو بھی یہ دے دینے سے ہم اس آتنکواد سے نہیں نپٹ سکتے۔ پنجاب میں یا کشمیر میں ہمارے فوجی یا ارد ھ فوجی جو پیرا ملٹری فورسیز ہیں ان کے پاس ہتھیاروں کی کمی نہیں ہے۔ لیکن اس سے ہم راج نیتک دشٹی کون سے نپٹنے کی کوشش کریں گے۔ کیا ایسی بھی کوئی کارروائی کرنے کے لئے چاہے وہ راجیہ سرکار ہو یا کیندر سرکار ہو اس کے پاس ہے۔ ورنہ ہم پنجاب، کشمیر، آسام، ناگا پردیش، مہاراشٹر ابھی تک مدھیہ پردیش کے کچھ حصے میں یہ دیکھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے کہ سوفسٹیکیٹڈ ہتھیار مل جانے سے ہی اس سے ہم نبٹ پائیں گے۔

میں منتری جی سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہتھیار کب مہیا کرائے جا رہے ہیں۔ یہ ہتھیار کب دیئے گئے۔ پیراگراف ۸ میں لکھا ہے کہ اتر پردیش سرکار کو یہ کہا گیا ہے کہ انڈو ریزرو بٹالین بنائی جائے وہ جس میں وہ ۵۰ پرتشت خرچ دیں گے اور باقی ۵۰ پرتشت دان دیں گے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ نرنے سرکار نے کب لیا۔ ہمارے پاس سی۔ آر۔ پی۔ ایف ہے، بی۔ ایس۔ ایف ہے۔ آئی۔ ٹی۔ بی۔ پی ہے اور بھی بہت سی ایسی پیرا ملٹری فورسیز ہیں۔ جسے میں سوفسٹیکیٹڈ ہتھیاروں کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ ویسے ہی اس بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ منتری جی سے سپشٹ روپ سے کہ یہ انڈو ریزرو بٹالین بنانے کا فیصلہ کب لیا گیا۔ کہاں

لیا گیا اور راجیہ سرکاروں کو بھیجا ہے تو
راجیہ سرکاروں کے پاس سے کیا جواب ملا
ہے۔ اتر پردیش سرکار سے تو ان کو جانکاری
پراپت ہوئی لیکن دوسری راجیہ سرکاروں
سے اس بارے میں کیا سوچنا ملی ہے۔
مہودے، پیراگراف 9 میں لکھا ہے
کہ ہم نے ایک سیل بنایا ہے گریہ منتراليہ
میں کیندریہ روپ سے اور اسٹیٹس اور
یونین ٹیروٹریز کو بھی ایسا سیل بنانے کا
انورودھ کیا گیا ہے۔ میں بیان میں نہیں
جا رہا ہوں لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں
کہ آخر کب تک ہم ایسے بیان دیتے
رہیں گے اور افسوس ظاہر کرتے رہیں گے
اور سیل بناتے رہیں گے۔ دھنیہ واد۔
"ختم شد"

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI (Uttar Pradesh): Hon. Vice-Chairamn, Sir, the bloodcurdling events that constitute the theme or the subject matter of the statement of the hon. Home Minister have been denounced by all sections of the House. Our perceptions may differ, our approaches may differ, but the events are much too tragic for tears; they are too deep for tears.

Sir, I do not want to politicise the issue because terrorism no longer remains a small cloud hovering on the horizon of this country. It is now overwhelming different parts of the country, and the hon. Members are well conversant and aware of this. Almost on the same dates, either a few days before or a few days thereafter, all kinds of events have been reported from different States of the country, and that shows the kind of the prolonged and the sustained effort that we have to make to eradicate terrorism.

Sir, in the perception of the statement that the hon. Home Minister has made, I have a few clarifications to ask. In the first place, may I draw his attention to the nature of the territory, the terrain, the character of the land, and the landscape? Is he aware that this is a forest area, primarily this is an area where so far as the crops are concerned, sugarcane is one of the most prominent crops? That is why the difficulty is there of any State Government in combing operations, in trying to eradicate, in trying to locate the hide-outs and the sanctuaries of the terrorists. It is a fairly complex and a difficult task. I have no doubt that the hon. Minister will agree with me that it is not possilbe to either stop the growth of sugarcane crops for a few years or to try to burn forests in different parts of the Terai area in order just to locate the gangs which are operating there. That is why the complicated nature of these operations has to be fairly understood. I do not want to remind him of the different parts of the country also where some of the difficulties of this kind have been faced by the State Governments and by the Government of India from time to time. That is why I would suggest to the hon. Home Minister that it could be worthwhile to visit this particular territory to have a better and a more realistic and more informed assessment of the area and the problems and probably that may facilitate him in taking some of the decisions. For example while speaking once in the House, he olid mention that he was thinking of sending some more Indo-Tibetan Border Police battalions or companies or something like that. But probably nothing has been done

[Shri Triloki Nath Chaturvedi]

so far. That could probably give him a much better idea as to what has happened and what is happening and what is really required.

I would like to point out to the hon. Home Minister that this is an area where after partition or slightly before partition, a large number of our friends from Punjab came and settled there and they have made the land prosperous. They reclaimed the difficult area and they are themselves quite prosperous now and we share and also commend the prosperity that they have attained. But at the same time this has also given rise to certain social tensions. May I draw the attention of the hon. Home Minister to the fact that there is this problem of tribals of the area, many of whom have been dispossessed of their lands through fear, through fraud or coercion, and that is why this problem has figured not now but since 1982 in the talks between the Government of India and the Akalis. Therefore, this background has also to be kept in view, because various State Governments in different ways have tried to restore or get back the rights of some of these dispossessed people. It is also known that the people who had gone to this area to gather food-products, belonged to the economically deprived and unpriviledged sections of the society.

I would also like to know from the hon. Minister if he is aware that the sanctuaries and the hideouts in this particular area have been sought not only now but from 1983 onwards, and particularly after the unfortunate happenings associated with the Blue Star Operation, and thereafter again, about 3 or 4 months back when the security forces became more active in Punjab, and no information was given to the adjoining States as to what is attempted to be done by them, with the result that this kind of situation is being faced not only by the State of Uttar Pradesh but also by Haryana, by Himachal Pradesh and so on, and they also expressed their resentment. This unfortunately shows lack of coordination or adequate perception of the kind of coordination that is called for.

I would also like to mention that so far as the Government of Uttar Pradesh is concerned, it has set up a task force. I do not want to go into the details of it because the hon. Minister is aware of it.

There are two particular aspects or two parts of it. One is the strengthening of the police stations and giving them better arms as could be made available and the second is armed constabulary to be deployed as task force under a DIG of police. This is a long-term task and not just for once, because one has also to keep in view the fact that the area affected covers many districts. The area covered is as big and as large as the area of Assam or Punjab and many other States, and this fact has got to be kept in view when the question of availability of forces or the question of extending financial resources and financial support to the State Government is considered, and this question has to be considered in its proper perspective. I do not want to apportion any praise in any case I apportion no blame to anyone but we have to keep this particular fact in mind. I know that we are running short of time. But I would just crave your indulgence for a few minutes more, to make one or two points. Then, I am done. I do not want to strain your patience any longer.

It has been mentioned in paragraph 7 of the statement that the supplies may not have met the total requirements. That is about the question of the arms asked for, sophisticated arms. The point is, the supply of sophisticated arms is the prerequisite for the efficiency, efficacy, effectiveness, as well as the morale and motivation of the police force. Sir, I know that seven or eight years back there used to be only one pistol among

three sub-inspectors in U.P. That is why the need to go in for more guns, pistols, etc., was felt which, unfortunately, led to another kind of difficulty. I do not want to refer to it.

So far, 31 police personnel have been killed. Therefore, it is not that the police personnel are lax. It is wrong to just tar the entire police force with the same brush.

Para 8 mentions about the number of companies deployed in U.P. But no details have been given as to how many companies were asked for by the U.P. Government and what percentage of it has been supplied. As far as I know, as far as I am aware, hardly 33 per cent of the requirement has been met so far, so far as the U.P. police is concerned. Perhaps, the same is the situation in some other parts of the State also. We have to keep in view the area covered and the complexity of the problem. It has been said that 44 companies have been deployed in U.P. But I would like to draw the attention of the hon. Minister to the fact that 20 companies of the Armed Constabulary of U.P. are in Delhi. Therefore, you can see how much would be left with the U.P. Government. Sir, I would take just two minutes more.

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : एक मिनट आप को बताऊं, आप एक सेकिण्ड के लिए बैठ जाइये। ऐसा है कि यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ था कि तीन मिनट क्लेरिफिकेशन में लिये जायें। यह भी निश्चय किया गया कि कांग्रेस पार्टी क्योंकि बड़ी पार्टी है इसके तीन या चार सदस्य...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : नहीं, दो।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : ठीक है, दो या तीन और दूसरे जो हैं उनका एक इस पर बोलेंगे। लेकिन आज जो हमारे पास सूची है इसमें सभी दलों के दो-दो, तीन-तीन सदस्यों के नाम हैं। मैं यह भी चाहता हूं कि अधिक से अधिक को मौका मिले क्योंकि एक गम्भीर सवाल है।

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: That is outdated. Very old history.

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : जहां तक आपका प्रश्न है आप स्वयं भारत सरकार के गृह सचिव रह चुके हैं। सारी चीजों को गम्भीरता से जानते हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि जब कभी इन बातों पर सदन में विशेष चर्चा होने लगे, डिसकशन हो उस समय आप बोलेंगे तो मैं समझता हूं काफी अच्छी बात होगी। मैं चाहूंगा आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: I would like to draw the attention of the hon. Minister to the fact that we have a 700 kms. border with Nepal. We know the kind of smuggling points and the areas for the terrorists to operate, to have ingress and egress. It is well-known. It is not very easy. As you know, the assassin of the former Chief Minister of Punjab, Kairon, escaped through this areas. I do not want to go into the details. But why not the responsibiliy in regard to fencing this international boundary, if not, fencing, at least, the responsibility in regard to its protection, in regard to keeping a watch on it, be taken over by the Indo-Tibetan Border Police?

There is one more thing I would like to mention and it is this. The U.P. Government have sent a scheme, costing about Rs. 36 crores, to fight the problem of terrorism in this long, broad, geographical area. This scheme costs about Rs. 36 crores. Out of this, they have requested for 50 per cent aid. It is no use creating more and more police force. On the contrary, the best thing is to add to the efficiency and effectiveness of

[Shri Triloki Nath Chaturvedi]

the police force. We should make the maximum and optimum use of the minimum resources available in the country and put a sense of fear in these people.

We were just now discussing a Bill. We were discussing the question of providing shelter, food and employment to our people, keeping in view the scarce resources. We have to keep this in mind. I would say that it is a ritualistic co-ordinated kind of plan. You can see the dates. The first meeting took place. Only one meeting took place. Again another official meeting takes place. Now, it is with a ritualistic approach that the whole thing is done. Action Plan means Action Plan in the real sense of the term, to which some hon. Members have referred. I only draw the attention of the hon. Home Minister to this and say that the liveliness, vibrancy and sense of seriousness of purpose, which is reflected in the speeches from all sections of the House, should really form part of the Action Plan that the Ministry of Home Affairs makes. Thank you, Sir.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : मान्यवर, अप्रैल से अगस्त तक उत्तर प्रदेश में और विशेष रूप से तराई क्षेत्र में आतंकवादियों की गतिविधियों की वजह से 60 हत्यायें लगभग हुई हैं जो अपने आप में चौंकाने वाली हैं। लम्बे समय से यह जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार के पास उपलब्ध थी कि तराई क्षेत्र में आतंकवादियों की गतिविधियां चल रही हैं और जो गढ़ा रेंज के जंगल हैं वहां आतंकवादी अपना ट्रेनिंग कैम्प चला रहे हैं और 8 अप्रैल को उन्होंने अपना फरमान जारी किया कि गढ़ा रेंज के जंगलों में 10 अप्रैल के बाद कोई भी आसपास के गांवों के लोग प्रवेश नहीं करेंगे। उसके बाद भी राज्य सरकार कोई समुचित कदम नहीं उठा पाई, इस मायने में तराई क्षेत्र में जो गांव वाले हैं उनकी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। यह अपने आप में बहुत गम्भीर बात है। इसके बाद 31 जुलाई को गांव धुशछवा और शिव नगर में 29 लोग एकाएक गायब हो गये जिनकी लाशें 3 अगस्त को मिलीं। यह उसी श्रृंखला से जुड़ी हुई बात है। इससे बड़ा सबूत उत्तर प्रदेश के खुफिया तंत्र का और वहां की पुलिस का और उत्तर प्रदेश की सरकार का निकम्मापन दूसरा और कुछ नहीं हो सकता है। डेढ़ दिन तक लाशें नहीं मिलीं। 50–60 गांव वालों ने जंगल में घुस कर यह प्रयास किया और उनके पीछे पीछे पुलिस वाले गये। जब कि होना यह चाहिए था कि जो छः हजार जवान कोम्बिंग आपरेशन में लगे हुए थे वे उनकी तलाश करते। लेकिन गांव के लोगों ने उन लाशों की तलाश की। उन लोगों का दाह-संस्कार नहीं किया गया बल्कि उनको गड्ढों में गाढ दिया गया। ये सब गम्भीर बातें हैं जिन पर गौर करना चाहिए।

मेरे केवल तीन चार प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि भारतीय रिजर्व बटालियन का गठन उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्यों नहीं किया क्योंकि मंत्री जी अपने वक्तव्य में इस चीज का उल्लेख कर चुके हैं कि इसका खर्चा 50 प्रतिशत राज्य सरकार का होगा और 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार वहन करेगी। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों की गतिविधियां दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं तो क्या यह सही है कि आतंकवादियों की गतिविधियों की जानकारी राव से पहले केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार को दी थी और वह जानकारी देने के बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने समुचित और सही समय पर कदम नहीं उठाया? राष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकवादियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों को सोफिटिकेटड वेपन्स दिये जाने का निर्णय केन्द्रीय सरकार ने लिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि किस अनुपात में और कितनी धनराशि किन किन राज्यों को दी गई है? मैं आपसे यह भी स्पष्टीकरण जानना चाहूंगा कि इंडियन रिजर्व बटालियन का गठन उत्तर प्रदेश में नहीं किया गया है, इस

लिए क्या उत्तर प्रदेश की सरकार यह मानती है कि उनके पास पुलिस इतनी पर्याप्त मात्रा में है कि वह आतंकवादियों की गतिविधियों से निपट सकती है ? यही मेरे तीन-चार प्रश्न हैं जिनका स्पष्टीकरण मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

SHRI N. GIRI PRASAD (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, the killings of the innocent people in the Pilibhit District, is a barbaric act committed by the terrorists. If it is an isolated incident, we can condole the deaths and condemn the incident and think about other matters. But this situation in the Terai region, according to reports, has been building up from mid-80s. According to reports, about 40 killings were there in 1990. In 1991, 261 killings were there, including the Rudrapur bomb-blast. By this time in 1992, I think, in addition to these 29, I heard or I read somewhere that another 80 people were killed. So, on all these events, all these killings by the terrorists, I am compelled to make one observation.

Almost another Punjab is in the making in the Terai region. If these things are going on or increasing day by day, year by year, then, where is the security for this country? The Government is struggling to maintain law and order or maintain peace in Punjab and other States. The extension of these terrorist activties to other States and the Government's keeping quiet means that it is a highly dangerous thing, and we should not allow this situation. According to reports, in 22 districts of Uttar Pradesh terrorists are operating. In the Terai region they are controlling almost all the forest areas, and the people have no security. In the night they are unable to come out and go about their occupations. So, if these things are allowed, I am afraid our country may face a serious situation. If this whole sub-Himalayan region is infested by these terrorists, with these Governments having no coordination among themselves and the Central Government also keeping quiet, leaving all these mtaters to the State Governments, it would ultimately lead to a further dangerous situation.

I think, the Government should not allow the situation to drift like this. Acording to paper reports, one Sukhdev Singn China, of the Bhindranwale Tiger Force is active in that area, and he accepted the crime also, but the Minister has not revealed the identity of the groups which are operating there. So, my main point is that there should be coordination between among the Central Government and the State Governments, particularly the Governments of U.P., Punjab and Himachal Pradesh. Unless there is serious roordiation and sinrere efforts by all these Governments, the Central Government and the State Governments, the situation will not come to normal.

I want to know from the Home Minister: Is the Central Government treating that this matter is the concern of only the Uttar Pradesh Government, or does it want to involve itself in a very big way to curb these activities?

Secondly, the relief to the victims as announced by the State Government, I think, is insufficient, and it must be increased. According to one report, a man and his son were killed. In that family there are eight daughters, and the Government rules generally give doles only on the basis of death. I suggest to the Home Minister and also to the U.P. Government that the help should be given on the basis of the number of dependents, if the dependents are more and the bread-earner has gone, I think, the Government should give them help on the basis of the number of dependents. Otherwise, they will be put to serious difficulties. It is a human problem, and the Government should show all sympathies to such bereaved families.

Thank you.

श्री ईश दत्त यादव (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह पीलीभीत में जो घटना हुई, यह अत्यंत ही दुखद घटना है। 6 महीने पहले उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस ने दिल्ली में एक प्रेस कान्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कान्फ्रेंस में डायरेक्टर जनरल पुलिस ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश के 22 जिले उग्रवाद की हरकतों की चपेट में आ गये हैं जिनको रोकने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। महोदय, यह बात सरकार की जानकारी में रही है कि तराई क्षेत्र में उग्रवादी हरकतें तेजी से चल रही हैं फिर भी सरकार की तरफ से इस उग्रवाद को या इस तरह की घटनाओं को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया। यह मेरा निश्चित मत है।

दूसरी बात यह है कि 31 तारीख को लोग जंगल में गये जिनकी हत्याएं हुई हैं। पहली अगस्त को उनके परिवार के लोगों ने या गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी। लेकिन पुलिस भी निष्क्रिय रही। तीन अगस्त को इन लोगों की लाशें बरामद हुई। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर पंजाब में, कश्मीर में और पूरे देश के अन्य हिस्सों में उग्रवाद तेजी पर है, उग्रवादी हरकतें तेजी से बढ़ रही है लेकिन आज तक जो हत्याएं करने का तरीका है वह ए.के. 47 से या किसी हथियार से तुरंत हत्याएं करते थे। लेकिन पहली बार इस तरह की घटना हुई है जिसमें लोगों का अपहरण किया गया और अपहरण करने के बाद उनका गला घोंटा गया। गला ही नहीं घोंटा गया, गृह मंत्री जी के बयान से यह साबित होता है कि गला घोंटने के बाद इनकी लाशों को जलाने का प्रयास किया गया। बरसात होने के कारण लाशें जल नहीं सकीं। यह उग्रवाद का एक नया टेक्नीक मुझ को मालूम पड़ता है। मैं समझता हूं गृह मंत्री जी और इनके विभाग की जानकारी में इस तरह की बात नहीं होगी कि उग्रवादियों ने इस तरह की हत्याएं करने का तरीका देश में कभी अपनाया हो। यह इस तरह से हत्याएं पहली बार हुई हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस बात की भी जांच कराएगी? उग्रवादी लोगों की जिम्मेदारी है ही और सरकार का कहना भी है, यू०पी० गवर्नमेंट की रिपोर्ट के आधार पर माननीय गृह मंत्री जी का बयान है। वहां पर तीन गिरोह सक्रिय हैं लेकिन अभी किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं ली है। जब कोई जिम्मेदारी ले लेगा तो उत्तर प्रदेश की सरकार वही अपना ड्यूटी मान लेगी। मैं समझता हूं कि इसके इलावा कोई कार्यवाही करने का प्रयास उनका नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस तरह का मेथड् अख्तियार किया गया है क्या इन हत्याओं में उग्रवादियों के इलावा किन्हीं और ताकतों या शक्तियों का हाथ हो सकता है या कोई दूसरे विवाद के कारण इस तरह की सामूहिक हत्याएं हुई हैं या नहीं? इस लाइट में भी इसकी जांच होना, मैं समझता हूं कि आवश्यक होगा।

तीसरी चीज़, इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि 31 तारीख और तीन तारीख के बीच में यह हत्याएं हुई होंगी। गृह मंत्री जी का तीन दिन पहले इस सदन में बयान आ चुका है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय को सजग रहना चाहिये। और विषयों में भले ही सजग न हो लेकिन देश के अन्दर जो उग्रवाद बढ़ रहा है, इसके बारे में सजग होना चाहिये। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी ने बयान देने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार से कोई इस तरह का सम्पर्क किया या सूचना प्राप्त की कि अब तक इसमें क्या कार्यवाही हुई, जांच का क्या परिणाम निकला, कोई उग्रवादी या हत्यारा अब तक पकड़ा गया या नहीं? इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई, क्या गृह मंत्री जी को इस तरह की कोई जानकारी है या नहीं? अंतिम प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं। आपके माध्यम से कि क्या

गृह मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि तराई के क्षेत्र के लोगों ने जिसमें ये लोग जिनकी हत्याएं हुई हैं, जिस गांव के लोग हैं, इस गांव के लोगों ने भी उत्तर प्रदेश के शासन से, जिलाधिकारी से, पुलिस अधीक्षक से अपनी रक्षा के लिए हथियार के लाइसेंसज के लिए मांग की थी और उनको हथियारों के लाइसेंसज नहीं दिये गये, क्या गृह मंत्री जी को इस तरह की कोई जानकारी है कि नहीं है? अंतिम चीज निवेदन करना चाहूंगा कि उग्रवाद इस देश के अंदर बढ़ रहा है। पंजाब से प्रारम्भ हुआ और देश के दक्षिण तक चला गया, उत्तर प्रदेश में चला गया, आसाम में चला गया, पूरे देश में व्यापक रूप से फैल गया। तो क्या गृह मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के अंदर बढ़ते हुए उग्रवाद पर काबू पाने के लिए या उग्रवाद को समाप्त करने के लिए प्रदेश सरकारों के प्रयास और प्रदेश सरकारों की योजनाओं के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार अपने द्वारा, या केन्द्र सरकार के द्वारा कोई इस तरह का प्रयास और इस तरह की कोई योजनाएं बनाई जा रही हैं कि नहीं जिससे कि उग्रवाद को इस देश से समाप्त किया जा सके। धन्यवाद।

मौलाना अोबैदुल्ला खान आजमी (उत्तर प्रदेश): सर, पीलीभीत के सिलसिले में बहुत सारी बातें सवाल के रूप में तफसील के साथ हाउस में आ चुकी हैं। पीलीभीत जंगल में आतंकवादियों का जंगल राज चल रहा है। हमारी सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत दोनों बेबस, मजबूर और लाचार होकर आतंकवादियों के सामने ऐसा लगता है जैसे सरेंडर कर चुकी हैं। न सिर्फ यह कि पीलीभीत बल्कि पीलीभीत जैसे हादसे हिंदुस्तान के बेशुमार इलाकों में अब रोजमर्रा का मामूल बन चुके हैं। हम लोग तरस गये किसी दिन का ऐसा अखबार, ऐसा पेपर देखने के लिए जिस दिन अखबार के कागज पर मासूम इन्सानों के खून की छींटों की सुर्खियां हमें देखने को न मिलें रोजाना जिस तरह से हादसात हम पढ़ते रहे, सुनते रहे, पीलीभीत में थोकभाव से यह कत्ल और दरिंदगी का जो मुजाहिरा हुआ है सबसे पहले तो मैं इसका जबर्दस्त मुजम्मत करता हूं, निंदा करता हूं और उसी के साथ साथ हुकूमत से कहना चाहता हूं कि:

"सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है,
सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है।"

ऐसी सूरत में चोरों ने तो अपना काम कर दिया, लोगों का गला काटा, बच्चों को यतीम बनाया, औरतों की मांग का सिंदूर खुरच डाला, बूढ़े मां-बाप की लाठियां तोड़ दीं..

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): चोरों ने नहीं हत्यारों ने।

मौलाना अोबैदुल्ला खान आजमी: हां, वे इन्सानियत के चोर हैं। आदमियों को चुराकर ले गये। अपहरण हुआ है।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): अब मैं चाहूंगा कि आप सीधे सवाल कर लें।

मौलाना अोबैदुल्ला खान आजमी: मैं सीधे सवाल करता हूं। उसी पर एक बात भी कहना चाहता हूं कि:

"सब्जए खत के सब्ज बाग न देख,
आदमी भी चुराए जाते हैं।"

सर, मैं सीधा सवाल यह करना चाहूंगा कि पीलीभीत में पहली अगस्त को पुलिस को इस वारदात की खबर कब मिली और किस थाने के जरिये मिली? नम्बर दो, पहली अगस्त और तीन अगस्त के बीच अगवा हुए लोगों की तलाश के लिए क्या पुलिस ने कोई कार्यवाही की थी? नम्बर तीन, मौकाए वारदात पर पुलिस कब पहुंची? और

[मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी]

नम्बर चार, भारत रिजर्व बटालियन कब तक बन जाएगी और एक खास बात जानना चाहूंगा जैसे कि सलीम भाई ने कहा था अब तो लाशों की गिनतियां गिन करके उनकी कीमतें लगायी जा रही हैं तो ये 40 हजार रुपये, 30 हजार रुपये...

एक माननीय सदस्य: 20 ही दिया है।

मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी: लीजिए, सिर्फ 20 हजार रुपये। मैंने 40 हजार रुपये पढ़ा था इसलिए लिख दिया।

20 हजार रुपये की जो रकम दी जा रही है यह तो किसी भी खानदान के मरने वाले आदमी के साथ कोई रहमदिल आदमी बतौरे खैरातोजकात भी इससे ज्यादा रकम दे देता है, जो रकम दे करके हुकूमत अपने दामन पर रकम देने का एक छिछोरा दाग लगा रही है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम इस रकम को एक लाख की राशि में उन्हें दिया जाए और हर मुमकिना तरीके से उन लोगों को मदद दी जाए। जंगल पर आतंकवादियों का पूरा कब्जा है। उस कब्जे से उस इलाके के लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए सरकार के पास क्या माकूल तदबीर है यह मैं जानना चाहूंगा।

مولانا عبید اللہ خان اعظمی: اتر پردیش: سر، پیلی بھیت کے سلسلے میں بہت ساری باتیں سوال کے روپ میں تفصیل کے ساتھ ہاؤس میں آچکی ہیں۔ پیلی بھیت جنگل میں آتنک وادیوں کا جنگل راج چل رہا ہے۔ ہماری صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت دونوں بے بس، مجبور اور لاچار ہو کر آتنک وادیوں کے سامنے ایسا لگتا ہے جیسے سرینڈر ہو گئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ پیلی بھیت بلکہ پیلی بھیت جیسے حادثے ہندوستان کے بے شمار علاقوں میں اب روزمرہ کے معمول بن چکے ہیں۔ ہم لوگ ترس گئے کسی دن کا ایسا اخبار ایسا پیپر دیکھنے کے لئے جس دن اخبار کے کاغذ پر معصوم انسانوں کے خون کی چھینٹوں کی سرخیاں ہمیں دیکھنے کو نہ ملیں۔ روزانہ جس طرح سے حادثات ہم پڑھتے رہے سنتے رہے۔ پیلی بھیت میں تھوک بھاؤ سے یہ قتل اور درندگی کا جو مظاہرہ ہوا ہے سب سے پہلے تو میں اس کی زبردست مذمت کرتا ہوں۔ نندا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ سونا جنگل۔ رات اندھیری۔ چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے ایسی صورت میں چوروں نے تو اپنا کام کر دیا۔ لوگوں کا گلا کاٹا۔ بچوں کو یتیم بنایا۔ عورتوں کی مانگ کا سندور کھرچ ڈالا بوڑھے ماں باپ کی لاٹھیاں توڑ دیں۔

آپ سبھا ادھیکش: شری شنکر دیال سنگھ: چوروں نے نہیں ہتیاروں نے۔

مولانا عبید اللہ خان اعظمی: ہاں وہ انسانیت کے چور ہیں۔ آدمیوں کو چرا کر لے گئے ایسا لگتا ہے۔

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

روپے کی جو رقم دی جارہی ہے یہ تو کسی بھی خاندان کے مرنے والے آدمی کے ساتھ کوئی رحم دل آدمی بطور خیرات و زکوۃ بھی اس سے زیادہ رقم دے دیتا ہے۔ جو رقم دے کر کے حکومت اپنے دامن پر رقم دینے کا ایک چھوٹا داغ لگا رہی ہے۔ اس لئے میں کہنا چاہونگا کہ کم سے کم اس رقم کو ایک لاکھ کی

رائشی میں انہیں دیا جائے اور ہر ممکن طریقہ سے ان لوگوں کی مدد کی جائے جنگل پر آتنک وادیوں کا پورا قبضہ ہے اس قبضہ سے اس علاقے کے لوگوں کو چھٹکارا دلانے کے لئے سرکار کے پاس کیا معقول تدبیر ہے۔ یہ میں جاننا چاہوں گا۔

"ختم شد"

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, यह घटना जो हृदय विदारक घटना हुई है, यह निश्चित रूप से... (**व्यवधान**)

श्री अनन्त राम जायसवाल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, मुझे बोलने का... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : आप भी बोलेंगे।

श्री अनन्त राम जायसवाल : हमने प्रार्थना की थी कि हमको जाना है,

اپنے سجھاؤ پیش : اب میں چاہوں گا کہ سیدھے سوال کر لیں۔

مولانا عبید اللہ خان اعظمی : میں سیدھے سوال کرتا ہوں۔ اسی پر ایک بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ...

سبزۂ خط کے سبز باغ نہ دیکھ
آدمی بھی چرائے جاتے ہیں

سر میں سیدھا سوال یہ کرنا چاہونگا کہ پیلی بھیت میں پہلی اگست کو پولیس کی اس واردات کی خبر کب ملی اور کس تھانے کے ذریعہ ملی۔ نمبر ۲ پہلی اگست اور تین اگست کے بیچ اغوا شدہ لوگوں کی تلاش کے لئے کیا پولیس نے کوئی کارروائی کی تھی۔ نمبر ۳ متوقعہ واردات پر پولیس کب پہنچی اور نمبر ۴ بھارت رزرو بٹالین کب تک بن جائے گی اور ایک خاص بات جاننا چاہوں گا جیسے کہ سلیم بھائی نے کہا تھا اب تو لاشوں کی گنتیاں گن کر کے انکی قیمتیں لگائی جارہی ہیں تو یہ ۴۰ ہزار روپے ۔ ۳۰ ہزار روپے...

ایک ماننیہ سدسیہ : ہیں ہی دیا ہے۔

مولانا عبید اللہ خان اعظمی : لیجئے فروری ۲ ہزار روپے۔ میں نے ۴۰ ہزار روپے پڑھا تھا۔ اس لئے کہہ دیا ۳۰ ہزار

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

जरा पहले बुलवा दीजिएगा, लेकिन आज तो हमको सब के बाद बुलायेंगे।... **(व्यवधान)**

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): If everybody goes, I will be left alone.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): No, No. I want to make him... *(Interruptions)*.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): At the fag end of the week.

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : एक मिनट आप रुक जाइये, जायसवाल जी। मैं साफ कह दूं कि मुझको स्मरण था। है क्या कि मेरे पास जो लिस्ट है, उसमें आपका नाम नहीं है। ... **(व्यवधान)** आप मेरी बात सुन लीजिए।

दूसरी बात यह है कि जो... **(व्यवधान)** आप मेरी बात सुन लें। सदन की प्रक्रिया के अनुसार पहले मैं हर दल के एक-एक व्यक्ति को बुला कर फिर तुरंत दुबारा और भी बुलाता हूं। आपने जो कहा था, माफ करेंगे, आपको जाना था, आपने बताया था। सत्या बहिन के बाद मैं आपको बुलाऊंगा।

श्री अनन्त राम जायसवाल : महोदय, एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस पर हमने जो कालिंग अटेंशन नोटिस दिया था, शायद उसको देने वालों में सब से पहला हमारा नाम होगा। कल तक हमारा नाम था, आज कैसे गायब हो गया—जरा इसका पता लगवा लीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : इसमें जो नाम है, नाम ईश दत्त यादव जी का ही था। अच्छा, सत्या बहिन।

श्रीमती सत्या बहिन : उपसभाध्यक्ष जी, निश्चित ही प्रशासन के निकम्मेपन के कारण यह हृदय विदारक घटना हुई और जाहिर है कि चाहे तो पुलिस का मनोबल टूटा हुआ हो, चाहे वहां पर उन्होंने वहां के निवासियों को आतंकवादियों की दया पर छोड़ दिया हो। बहरहाल वहां की पुलिस, प्रशासन किसी भी तरह से उनकी सुरक्षा करने में बिलकुल नाकामयाब रही।

यही नहीं, खुलेआम जब आतंकवादियों ने 8 अप्रैल को एक फरमान जारी करके यह कहा कि गुड्डा रेंज के जंगलों में 10 अप्रैल के बाद कोई भी व्यक्ति न घुसे और बाकायदा इस फरमान को बरेली से निकलने वाले एक दैनिक समाचार-पत्र में भी छपा था। फिर भी पुलिस क्यों नहीं सतर्क हुई?

क्या स्थानीय पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस लखनऊ को इस बात की खबर नहीं भेजी थी कि इस तरह से आतंकवादियों ने खुलेआम जनता और सरकार को चैलेंज किया है?

महोदय, बड़े दुख की बात है कि 29 व्यक्ति जब 31 जुलाई को अपने घर से जंगल को गये और रात भर नहीं आए और इसके बाद बताया गया है कि पहली तारीख को गांव वालों ने जब ढूंढने के बाद वह नहीं मिले, तो पुलिस चौकी को खबर दी।

मैं कहती हूं कि जो लोग सुबह जंगल में जाते हैं, वह दोपहर तक जरूर घर आ जाते हैं, नहीं तो शाम तक आ जाते हैं। तो इसके बाद ढूंढने के बाद और जहां तक मैं समझती हूं कि उन्होंने रात को ही जानकारी दे दी होगी, क्योंकि रात को जंगल है वहां, तो कोई गया नहीं होगा। तो पहली तारीख से लेकर दो तारीख तक पुलिस वहां पर क्या करती रही?

दूसरा, तलाशी के दौरान इसमें लिखा है कि छानबीन का अभियान शुरू किया, तो उस दौरान कितने पुलिसकर्मी

इसकी छानबीन में लगे थे? इसमें दिया गया है कि 44 कंपनियां अर्ध सैनिक बलों की उत्तर प्रदेश में है। तो तराई में कितनी टुकड़ियां लगी हुई हैं?

मान्यवर, जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और डाकुओं का इलाका था, चंबल का--आगरा और इटावा के आसपास के क्षेत्रों में तो सर्चलाईट की व्यवस्था होती थी डाकुओं के लिए कि रात को जंगलों में वे छिप जायेंगे, तो पुलिस मशीन गनों से, किसी तरह से लाईट छोड़ कर उनका ध्यान करती थी।

तो क्या इस तरह की व्यवस्था वहां के जंगलों के लिए है कि नहीं है? इसके साथ ही मैं एक बात खास तौर से कहना चाहती हूं--गृह मंत्री जी मेरी बात पर ध्यान दें। यह 29 व्यक्तियों की हत्या तो आतंकवादियों ने की, जिसकी सभी निंदा करते हैं, लेकिन उनके मरने वालों के परिजनों की भावना की जो हत्या हुई, उसकी तो सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है। जब वहां पर सोमवार की रात को पीलीभीत शहर में 29 व्यक्तियों की लाशें पोस्ट-मार्टम के लिए गईं, तो रात में पहुंची हैं और मंगलवार को उनका दाह-संस्कार वहां कर दिया गया। दाह-संस्कार भी नहीं कह सकते हैं, उनको गड्ढे में डाल कर वैसे ही ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। किसी का हाथ बाहर खुला रह गया, किसी का पैर खुला रह गया, जबकि मरने वाले लोगों के परिजन गुरुचाई में पूरे उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करके, पूरा क्षेत्र वहां पर इकट्ठा था। और उनके अन्तिम संस्कार के लिए वहां इंतजार कर रहा था तो पुलिस या प्रशासन उन लोगों को उन शवों को वहां तक क्यों नहीं ले गया? क्या वजह थी कि वहीं पर उन्हें दफना दिया गया, जबकि उनके परिजन उनकी शक्ल भी नहीं देख पाए थे? जंगल से उठाया और पीलीभीत ले आए। पीलीभीत में पोस्टमार्टम किया और उसके बाद वहीं खत्म कर दिया। यह सब से अमानवीय पहलू है, महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि इसकी तरफ ध्यान दें? इसके साथ ही मैं यह पूछना चाहती हूं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल गई है या नहीं? उस रिपोर्ट से क्या पता चलता है? 31 तारीख को ही उन लोगों को मार दिया था या 2 या 3 तारीख को मारा, मैं यह जानना चाहती हूं? मैं यह भी जानना चाहती हूं कि तराई के जंगलों में जो ट्रेनिंग कैम्प लग रहे हैं बाकायदा क्या इस बात को सरकार को जानकारी है वह कितने ट्रेनिंग कैम्प लग रहे हैं, यह भी मैं जानना चाहती हूं?

श्री अनन्त राम जायसवाल : मान्यवर, उपसभाध्यक्ष जी, जब पीलीभीत... (**व्यवधान**)

डा० बलदेव प्रकाश (उत्तर प्रदेश) : मेरा नाम भी है? ... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : हां, जो लोग यहां बैठे हैं, मैं उनकी चिंता जानता हूं। इसलिए मैं किसी को निराश नहीं करूंगा और वैसे भी शुक्रवार को प्राइवेट मेंबर्ज बिल के दिन उपस्थिति आधे दिन के बाद तो बिल्कुल समाप्त हो जाती है और लोगों को जाना भी रहता है। फिर भी जो लोग अंत तक बैठे रहेंगे मैं उनका साथ दूंगा। जायसवाल जी।

श्री अनन्त राम जायसवाल : मान्यवर उपसभाध्यक्ष जी, पीलीभीत जैसी जब कोई बड़ी घटना, दर्दनाक, अफसोसनाक और बेरहम घटना हो जाती है तो थोड़े वक्त के लिए पुलिस विभाग में, गृह मंत्रालय में, मंत्री जी में, सरकार में हरकत आती है, बिल्कुल थोड़े समय में और इनकी तरफ से छोटे-छोटे जेस्चर दिखाए जाते हैं। जैसे यहां पर आप देखते हैं कि 20 हजार रुपया दे दिया, एलान हो गया कि कैम्प लगा कर लोगों को बंदूकें दे दी जायेंगी, तो वक्ती और छोटे-छोटे जेस्टर दिखाए जाते हैं। इस

[श्री अनंत राम जायसवाल]

दिन के बाद हालत यह हो जाती है कि वह पहले की तरफ फिर सुस्त हो जाते हैं और सो जाते हैं।

पहली चीज़ मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह यह एनश्योर करेंगे कि यह उग्रवाद के फैलाव को देखते हुए स्थाई रूप से यह विचार पुलिसकर्मियों में रहे, गृह विभाग में रहे, सरकार में रहे कि उग्रवद से निबटना है, क्या आप इसको एनश्योर करेंगे? उसके लिए निरंतर उपाय रोज़-ब-रोज़ होने चाहिए। इसी के साथ, मोनिटरिंग की भी कोई ऐसी व्यवस्था हो कि अगर रोज़ नहीं तो हर दूसरे, तीसरे दिन हो जाये कि इस दिशा में क्या कार्यवाही हो रही है? यह पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ यह है कि इसमें मान्यवर, जैसा कि अभी सत्या जी ने कहा कि अखबार में यह खबर आ गई थी कि फरमान जारी हो गया आतंकवादियों की तरफ से कि इस जंगल में कोई न आए। इसके अलावा इस जंगल के किनारे बस्ती है जैसा अखबारों को पढ़ने से पता चला और ये आतंकवादी इस जंगल में एक-दो दिन से नहीं पूरे एक महीने से रह रहे थे। यह भी समाचार छपा है कि इनको जंगल के जो पड़ोसी लोग हैं वह खाना वगैरह भी देते थे। ये बराबर देखे जाते थे, इसके पहले गांव वालों ने देखा और उनको आतंकवादियों ने पकड़ा भी लेकिन छोड़ दिया। इसका साफ मतलब है कि पुलिस को भी इसकी जानकारी रही होगी। तो फिर वही पुलिस सुस्ती की बात आती है। इसमें यह भी नहीं है कि आपकी जो खुफिया एजेंसी है वह ढीली है और ठीक से काम नहीं कर रही है? इसमें तो यह पहले से पता है। तो क्या मंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार को कहेंगे कि ये चीजें अगर सही हैं तो इनकी तरफ देखे और कार्यवाही करे? तीसरी चीज़ यह है कि सचमुच में आपकी खुफिया एजेन्सी बहुत कमजोर है, उत्तर प्रदेश की भी और भारत सरकार की भी। नतीजा उसका यह होता है कि जिन रियासतों में उग्रवाद का या उग्रवादियों का नाम नहीं था वहां पर भी वह पहुंच गए हैं, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्यप्रदेश है। यह नई जगह अब सुनने में आ रही है कि यहां पर भी उग्रवाद ने अपने पर फैला दिए हैं और आपकी खुफिया एजेन्सी जो है प्रदेश की भी और आपकी भी, उनको यह पता नहीं चलता है। यह किस्सा यहां का नहीं है, मान्यवर, फौज तक में भी रहा है, जब चीन ने हमला किया था तब भी यह था कि इण्टेलिजेन्स फल्योर है। जब कोई घटना हो जाती है बड़ी, तब भी इण्टेलिजेन्स की फेल्योर होती है। तो इसको मजबूत करने के लिए, इसको चुस्त बनाने के लिए क्या तुरन्त सरकार कोई कार्यवाही करेगी और अगर करेगी तो क्या कार्यवाही करेगी?

फिर, मान्यवर, परस्पर दोषारोपण होने लगता है। जब इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो प्रदेश सरकार कोसने लगती है केन्द्र सरकार को और केन्द्र सरकार कोसने लगती है प्रदेश सरकार को। इसमें भी यही जाहिर होता है कि जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार या उनके मुख्यमंत्री द्वारा यह कहा गया कि आवश्यकता के अनुसार उनको सोफिस्टिकेटेड आर्म्स नहीं देते हैं या यह नेपाल का बोर्डर जो है उसको सील नहीं किया जाता है और केन्द्र द्वारा यह कहा गया कि हमने सुझाव पेश किया भारत रिजर्व बटालियन बनाने का, लेकिन उस पर उत्तर प्रदेश का प्रस्ताव ही नहीं आया। यह उग्रवाद, चाहे प्रदेश में हो, चाहे देश में हो, किसी भी हिस्से में हो, उसमें भारत सरकार की भी जिम्मेदारी है और प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी है। तो यह आरोप--प्रत्यारोप जो लगते हैं इनको बंद करके दोनों सरकारों को एकाग्रचित्त होकर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि कोई रास्ता निकाला जाए।

उसी के साथ यह भी है कि आपके पास संसाधनों की कमी है, और राज्य सरकार तो आपसे भी ज्यादा बुरी हालत में है, वह हथियार तक नहीं जुटा सकती। जहां तक जनता को हथियार देने की बात है, उत्तर प्रदेश का यह हाल है, मान्यवर, कि वहां पर पहले गन लाइसेंस देने का

यह कानून था कि अगर किसी के यहां डकैती पड़ जाए या उसके ऊपर प्राण-घातक हमला हो जाए तभी उसको आर्म मिलेगा। यानी पहले अपने यहां हम डकैती डलवा लें या प्राण-घातक हमला अपने ऊपर करवाएं तब हमको आर्म मिलेगा। अब जो थोड़ी ढील दी गई है तो उसमें कलेक्टर कहता है कि सिंगल बैरल गन के लिए अल्प बचत में 15,000 रुपए, डबल बैरल गन के लिए 20,000 रुपए और रिवाल्वर के लिए 50,000 रुपए पहले अल्प-बचत योजना में जमा कराओ तभी लाइसेंस मिलेगा। इसका साफ मतलब है कि जिन लोगों को लाइसेंस की जरूरत है, आर्म की जरूरत है अपनी हिफाजत के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए या समाज की सुरक्षा के लिए, तो उनको जल्दी मिलने वाला नहीं है। जब कोई इस तरह की घटना हो जाएगी तो दो-चार दिन के लिए कैम्प जरूर लग जाएगा। मेरा आग्रह है कि इसकी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसी के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जब सरकारें इस समस्या से निपटने में असमर्थ है, उत्तर प्रदेश की सरकार भी असमर्थ है, भारत सरकार भी असमर्थ है तब फिर एक यह विचार है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि कैसे प्रचार करके लोगों को आतंकवाद से निपटने के लिए प्रेरित व तैयार किया जाए? इसको जन-आन्दोलन बनाया जाए और लोगों को इसके साथ जोड़ा जाए। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही करेंगे या कोई विचार उनके दिमाग में है, उसकी सरकार के दिमाग में है? इस पर भी माननीय मंत्री जी प्रकाश डालेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

6.00 P.M.

SHRI SHIV PRATAP MISHRA (Uttar Pradesh): Sir, I am grateful to you for allowing me to seek clarifications on the statement made by the Minister of State for Home Affairs about the gruesome killings in Pilibhit which have shocked me.

I have persued the statement carefuly only to find to my utter dismay that it is lacking in so many respects. Before I go into the details, may I know from the hon. Minister of State for Home Affairs the basis of this statement? Is it based purely on the report given by the State Government or has it been made after due verification by the Central team? In any case, from the statement it appears it is like a fairy tale. Sir, the source is only the State Government. It is understandable that the U.P. Government may have failed on all counts, but it has really succeeded in spreading lies in the most convincing manner till the truth finally triumphs. Who would believe that twenty-nine persons from two villages of two different police stations had formed a group to collect wild vegetables? The press reports of 4th August 1992 on the incident are quite different. Even the report lodged by the Pradhan of Chunghchai village is quite different. Our vilagers also collect wild vegetables but never in a group of more than three or four. Secondly, the statement says that all the twenty-nine bodies were found in a small river Kannaut. The press report says that the bodies were found in the confluence of Kannaut and Sikarianallah. The Pradhan of the village, Chunghachai, in his report to the police says that 28 residents of the village had gone to the jungle to collect *katrue* but eight of them returned in panic when they saw suspicious armed men roaming in the area. They tried to lodge a report in Gujraula Police Station, but in vain because their report was not taken. The report also says that one or two kidnapped victims managed to escape from the militant clutches. The police was informed of the disappearance of the villagers on the 1st of August, but it took them three days to recover the bodies on 3rd of August. The area is covered with thick forest. The report clearly says that 10 residents of Shivnagar village of Gajraula Police Station had

[Shri Shiv Pratap Mishra]

gone for hunting. They had been gunned down by the suspected militants whereas the statement says that they appeared to have died by strangulation. No post-mortem was conducted. And if done, why didn't it come in the statement? The State Government is already in the know of these incidents and it did not bother to instruct the local police and the administration to take preventive measures. The State Government could have moved the para-military forces. The State Government is in the full know of the sensitivity of the Terai region, especially Mailani forest range, where militants are hiding. Why did they not act swiftly to avoid such gruesome massacre? In a news report appeared in the press it is alleged that there are 30 licensed guns in Chunghachai, one of the two villages affected in Pilibhit district of Uttar Pradesh, but all of them are single-barrelled and are described by the terrorists as toys. The villagers want more arms licences, including semi-automatic weapons.

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : मिश्र जी, सवाल पूछ लीजिए ।

SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Yes, Sir, I am concluding. It is further alleged that there are several applications for arms licences pending clearance with the District Magistrate for the last several months. Will they be expedited by issuing instructions by the Central Government so that the State Government should take proper care for thir protection? May I know why the Home Ministry had set up a Cell in February 1992 when some of our States have been chronic victims of terrorist activities for a long time? I cannot refrain from observing that it is a sorry state of affairs. Finally, Sir, to save the country and to combat the menace of terorism and extremism, don't hesitate to have frequent meetings of the Home Ministers of the affected States. At least the Home Secretary of the Government of India can have a meeting once in a month with his counterparts in the States when such threats are going on. May I have an assurance from the hon. Minister of State for Home Affairs in these respects? Thank you.

डा० बलदेव प्रकाश : उपसभाध्यक्ष महोदय, पीलीभीत की निन्दनीय घटना की जितनी भी निन्दा की जाए, कम है । यहां स्पष्टीकरण में कुछ आरोप-प्रत्यारोप, कुछ शासन-प्रशासन, केन्द्रीय और प्रदेश के ऊपर कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए है । मैं यह समझता हूं कि जब तक हम इस घटना से जो बहुत गंभीर संकेत मिलते हैं और जो स्पष्ट परसेप्शन, अवधारणा इस घटना की होनी चाहिए, वह नहीं होगी केन्द्र को और प्रदेश की सरकार को, तब तक इसका कोई इलाज नहीं हो सकेगा ।

उपसभाध्यक्ष जी, यहां कहा गया है कि किसी भी संगठन ने या किसी भी व्यक्ति ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली । लेकिन मैं वहां होकर आया हूं और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता कि वहां उन मृतक शरीरों के साथ प्लास्टिक के लिफाफे के अंदर एक चिट्ठी गुरुमुखी में लिखी हुई पाई गई और उसमें यह स्पष्ट किया गया, जैसा कि सत्या बहिन ने कहा है कि अप्रेल में उन्होंने चेतावनी दी थी और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि हमारी चेतावनी के बाद इस जंगल में आना-जाना बन्द नहीं हुआ इसलिए हम इन लोगों की हत्या कर रहे हैं, क्योंकि इस जंगल में हमने मोर्चेबन्दी की हुई है और इसका उपयोग हम अपने लिए करना चाहते हैं । उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि उग्रवादियों का एक ऑपरेशनल बेस बन चुका है या उनके द्वारा बनाने की कोशिश की जा रही है । जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि यह ऑपरेशन बेस है और युद्धस्तर पर हम उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक केवल यह सामयिक उपाय क्या होंगे, पोस्टमार्टम हुआ या नहीं हुआ, कितने रुपये मिले, यह तो बहुत साधारण बातें हैं । देश को तोड़ने के लिए सभी तरफ उग्रवाद अपनी जड़ें बिछा रहा है, उनका नेटवर्क फैल रहा है, ऑपरेशनल

बेस बन रहा है और हम छोटी-छोटी बातों के ऊपर तर्क-वितर्क करके राजनीतिक आरोपत्यारोप लगा रहे हैं ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर बी०एस०एफ० की कम्पनियां नियुक्त हैं । उनके पास ए.के.47 नहीं हैं और वह असहाय हैं कि जब आतंकवादियों के पास इस प्रकार के आधुनिक हथियार हैं तो हम इन पुराने हथियारों से क्या करेंगे । एक भी ए.के.47 बी०एस०एफ० कम्पनी के पास नहीं है । नियमों के अनुसार एक बी०एस०एफ० कम्पनी को एक मारुति जिप्सी मिलनी चाहिए । उनके पास एक भी नहीं है । वहां पर आठ कम्पनियां हैं । एक बटालियन है । लेकिन एक भी मारुति जिप्सी नहीं है और जो जंगल का इलाका है, वहां सिवाय मारुति जिप्सी के नहीं जाया जा सकता । मैं वहां पर होकर आया हूं । हम अंदर जंगल में गए । वहां पर 10 फुट दूर अगर कोई आदमी बैठा हो तो किसी को भी नहीं देख सकता । घना घना जंगल वहां पर है । तो जब यह स्थिति वहां की है तो वहां पर इतने थोड़े साधनों से कैसे होगा ? मैं गृह मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि हमें यह स्पष्ट धारणा बनानी पड़ेगी कि यह एक ऑपरेशनल बेस बन रहा है, उसकी कोशिश की जा रही है और अभी से हम इस का युद्ध स्तर पर सामना करने के लिए तैयार नहीं होंगे और बी०एस०एफ० को भारी मात्रा में आधुनिक हथियार देकर के, उनको मोबाइल साधन देकर के वहां पर नियुक्त नहीं करेंगे और वह बेस नहीं तोड़ेंगे तो स्थिति का सामना करना मुश्किल होगा । एक बयान आया है, शायद गृह मंत्री महोदय के ध्यान में आया हो । इस घटना के बाद सतनाम सिंह चिन्ना जो भिण्डरवाला टाइगर फोर्स का नेता है, ने एक बयान में कहा है कि हमने हत्याएं की हैं, हम आगे भी करेंगे । हम चेतावनी देते हैं कि यह अर्द्ध सैनिक बल, पुलिस की टुकड़ियां हमारा मुकाबला नहीं कर सकती । हमारे पास 60 दिनों का राशन है और अत्याधुनिक हथियार हैं । हमने जंगल के अंदर मोर्चेबंदी की हुई है । मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी इस चर्चा से वह मोर्चेबन्दी कैसे टूटेगी ? कैसे वहां से उनको फलैश-आउट करेंगे ? केन्द्र की सरकार इसके बारे में ध्यान दे । नेपाल के साथ 770 किलोमीटर लम्बी हमारी सीमा जुड़ी हुई है और आज इस देश को तोड़ने के लिए इंटरनेशनल षड़यंत्र हो रहे हैं । यह बेस बन रहा है और उन लोगों के लिए शरणस्थली बन चुका है । तो क्या केन्द्र की सरकार इसके बारे में अपना कुछ दृष्टिकोण स्पष्ट करेगी कि हम कैसे इस चुनौती का सामना करेंगे ? कैसे वहां आने-जाने वालों को रोकेंगे और उस स्थान को वहां से फलेश-आउट करने के लिए किस प्रकार के साधन अपनाएंगे ? जब तक उसको वार फुटिंग पर नहीं लेंगे, तब तक मैं समझता हूं कि यह उग्रवाद की समस्या पंजाब में भी अभी तक हल नहीं कर सके हैं, कश्मीर में भी हल नहीं हुई है । आज यहां पर भी अगर परसेप्शन यही रही तो यह आगे समस्या बढ़ेगी और हम उसको रोक नहीं पाएंगे ।

मैं इन शब्दों के साथ गृह मंत्री जी से यही प्रार्थना करूंगा कि इस परसेप्शन को स्पष्ट करके और इसको वहां पर वार फुटिंग पर लें तथा प्रदेश की सरकार को पूरी सहायता दें, बी०एस०एफ० वगैरह को आधुनिक हथियार दें, उन्हें मोबाइल करें, उनको वेपंस दें, तब इस समस्या का हल होगा, अन्यथा नहीं हो सकेगा ।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Mr. Vice-Chairman, Sir, the statement regarding the kilings in the Pilibhit district is not satisfactory. The first part of the statement says about the murder, the report made by the villagers, finting out of the dead bodies and the suspicion about the killers. The second part of the statement is about the action that is being taken by the State Government.

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : मैं सदन से अनुमति लेता हूं कि दो मिनट के लिए सत्या बहिन यहां बैठेंगी, मैं दो मिनट के अंदर आता हूं ।

[**Shrimati Satya Bahin** in the Chair].

[Shri S. Viduthalai Virumbi]

From the report what we find is that, 26 men and 3 women went to collect some local wild vegetables. When they did not return, the villagers suspected about their missing and they started their searching operation on the 1st of August. Subsequently, the statement says that when they were unable to find them, they reported the matter to the police. When did they report it to the police? Is it on the same day when they started the search or on the second or the third day? If on the same day they reported the matter to the police, then the police has taken some three days to find the bodies. Another question also arises out of this. They had gone to collect vegetables but their bodies were found on some river bank. But there is no mention about the distance between the usual place from where they used to collect vegetables and the river bank.

If the distance is more, how were those villagers dragged from the place where they went to collect vegetables, to the river bank? This is another thing. Another issue which is said in that the villagers were found with their hands and feet tied and they appeared to have died—that is important; it was not certain— of strangulation. It appears from this report that there was no bullet injury. Had there been any bullet injury, they would have mentioned about that in this report. So we have to presume that there was no bullet injury. In that case, more persons are suspected to have been involved in the operation. It also appears that the State Government did not send the post-mortem report to the Central Government or-maybe-they would have sent the post-mortem report after they had sent this report. Has any further report been received by the Central Government after the post mortem was done? If so, what are the details thereof? Then, Sir, another thing which the statement says is, "No group or person has yet claimed responsibility for the killings. It is suspected that two or three gangs who are said to be moving in the area may be resonpsible." It is also said that one letter was found there written in Gurmukhi. From this we cannot come to any conclusion because what I feel is that some people would have written a letter in Gurmukhi just to divert the attention of the State Government and the Central Government. This possibility is also there because recently in my own State there was a sandalwood smuggling case.

[**The Vice-Chairman (Shri Shankar Dayal Singh)** in the Chair]

When the sandalwood was kept piled up somewhere, it was found by the tribals who went there on some work. When the officers found that these people had come to know about the piling up of the sandalwood, the smugglers suspected that those tribals might inform it to the police, Subsequently, I am sorry to say, that 18 women were raped and out of these eighteen, except one, all the 17 were unmarried. Similarly, here also, what I feel is this: Suppose there are smuggling operations going on. In order to divert the attention of the State Government as well as the Central Government, they would have written a letter in the Gurmukhi script. This is also a possibility. That is why I say that the Government should try to finid out whether it is the act of the smugglers or the militants. These people were very poor and they were not murdered for money. So, money consideration was not there. There was no rape case reported. If there was no money consideration, if there was no rape and if they were also no shot down, then the militants would not have been involved in this. This is what I feel. My feeling is the the smugglers were involved. This factor also the Government must bear in mind while they try to find out the truth.

I would also like to know whether smuggling is going on the Indo-Nepal border. If that is so, the people involved in smuggling would have suspected that these people would and inform the police and, thereror

on account of this suspicion, they would have done this. This is what I feel. But I want to enlighten myself by the explanation that is going to be given by the honourable Home Minister. Thank you, Sir.

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव के रूप में और कुछ स्पष्टीकरण गृह मंत्री जी से मांगना चाहूंगा ... **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : गौतम जी, आप स्पष्टीकरण ही मांगिए सुझाव रहने दीजिए ... **(व्यवधान)**

श्री संघ प्रिय गौतम : मान्यवर, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला भी नेपाल से मिलता है, बस्ती भी मिलती है लेकिन वहां पर आतंकवादी क्यों नहीं हैं ? पूरी उनकी सीमा मिलती है । इसी तरह से नैनिताल का पहाड़ी इलाका और अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ भी नेपाल से मिलता है, वहां आतंकवाद क्यों नहीं है । यह आतंकवाद देहरादून से लेकर खीरी लखीमपुर तक विशेष जाति और वर्ग के लोग अकेले आकर नंगे, भूखे, है और उन्होंने जबरदस्ती तत्कालीन सरकार की शह पर जंगलों को काट काट कर, गांव, समाज की जमीन पर नाजाइज कब्जा करके वहां पर बड़े बड़े फार्म बना दिए है, मैंने नैनीताल में यह लड़ाई लड़ी सन 1973 में ननिताल के जंगलों में मैंने आतंकवादियों के खिलाफ लडाई की । वहां के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और अनुसूचित जाति के लोगों ने जब वहां कब्जे किए तो उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकारों ने, सत्या बहिन जी, कांग्रेस की सरकार ने उन लोगों को जबरदस्ती वहां से भगाया, उनकी जमीन पर बुलडोजर चलवाए, उनकी झोंपडियां जलवाई लेकिन ये लोग जंगलों को काट काटकर गांव समाज की जमीन पर जो बोक्साइड और बारू जाति के लोग जो नैनिताल और वहां की तराई में रहते हैं उनकी जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करके दो-दो, तीन-तीन और चार-चार हजार एकड़ के फार्म बना लिए हैं आप इस स्थिति को जानती नहीं ? सत्य बात यह है कि इन जंगलों के किनारे फार्म हाउस के अलावा आबादी है ही नहीं ...

श्रीमती सत्या बहिन : ये सवाल पूछ रहे हैं या सरकार को कोस रहे हैं ?

श्री संघ प्रिय गौतम : ये सारे बीज उन सरकार के बोए हुए हैं जिसकी आप वकालत करती है, सुन लीजिए , मैं बताता हूं ... **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : गौतम जी, आप स्पष्टीकरण पूछिये ...

श्री संघ प्रिय गौतम : मैं आपको बता रहा हूं कि आतंकवादी कैसे ? वहां पर कोई गांव नहीं है, कोई आबादी नहीं है ...

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : बात यह है कि सत्या बहिन महिला हैं ...

श्री संघ प्रिय गौतम : मैं क्षमा चाहता हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : सुन तो लीजिए । अभी सौभाग्य से या दुर्भाग्य से बेचारी अकेली बैठी हुई हैं और उनको चियर को प्रोटेक्शन देना पडेगा । ...

श्रीमती सत्या बहिन : मैं अकेली बहुत हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इतनी जोर से न बोलें कि हमारी बहन भयभीत हो जायें, डर जाऐं ।

श्री संघ प्रिय गौतम : यह नहीं डरने वाली हैं ।

श्रीमती सत्या बहिन : आपकी गलत बात का विरोध करने के लिए मैं अकेली ही काफी हूं ।

श्री संघ प्रिय गौतम : बात यह है कि आप इनका दर्द देखिए आतंकवादियों द्वारा मारे गए लोगों के प्रति । आतंकवादियों के प्रति इनकी चिंता देखिए कि इनका सदन में एक भी व्यक्ति उपस्थित नहीं है अकेली यह हैं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : मिनिस्टर हैं ।

श्री संघ प्रिय गौतम : वह तो जवाब देने के लिए बैठे हैं । अबेदुल्ला जी मेरे आग्रह पर बैठे हैं, मेरी पार्टी के लोग चिंता से बैठे हैं और मैं यहां पर इसलिए हूं कि मैं आखिर तक बैठता हूं । रोजना की मेरी आदत है । (**व्यवधान**) मुझे कह लेने दीजिए । मैं उपाय बता रहा हूं । उपसभाध्यक्ष महोदय, बड़े लोगों ने निराशा-जनक बातें कही है । हम आतंकवाद को खत्म करेंगे । हम में शक्ति है । हम में बुद्धि है । हम तरीके भी जानते हैं । कम से कम मैं निराशावादी व्यक्ति नहीं हूं । मैं आपको उपाय बता रहा हूं और फिर गृह मंत्री जी से पूछूगा कि क्या आप इसे करने को तैयार होंगे । यह मेरा स्पष्टीकरण होगा । इसमें हमारा क्या सहयोग मांगेंगे ।

पहला मेरा कहना यह है कि वहां जंगल ही अकेले छिपने की जगह नहीं है । जो ईख के हजारों एकड़ के फार्म हैं ये भी छिपने की जगह है । चार महीने पहले रामपुर के तहसीलदार को आतंकवादी पकड कर ले गए और 15 दिन तक रखा । जब उनकी तलाशी ली गई तो एक फार्म के अंदर से जो दो हजार बीघे का ईख का है उसके बीच में करीब एक बीघा जमीन कटी हुई थी और गड्ढे पड़े हुए थे । उसे वहां से ढूंढा गया । बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए छोटे उद्देश्य की बलि चढ़ानी पडती है । पर्यावरण का प्रश्न उठेगा । ईख के खेत बंद होंगे तो चीनी की कमी पडेगी । चीनी हम अब भी आयात करते हैं तब और ज्यादा चीनी आयात कर लेंगे । एक कानून बनाकर दो-चार साल के लिए तराई के इलाके में ईख के खेत पर पाबन्दी लगाई जाए । क्या कह रहे हैं मंत्री जी ? क्या आप ऐसा करेंगे? क्या जो लोग इसका विरोध करेंगे उसका आप मुकाबला करेंगे ? यह मेरा पहला स्पष्टीकरण है । दूसरा स्पष्टीकरण यह है क्या आप एक्ट बनाकर चाहे लेह आर्मी में हों, जंगलों के ऊपर हेलीकाप्टर से या कैसे भी लोकेट करेंगे कि कौन से स्थान पर आतंकवादी हैं ? यदि लोकेट करने में आप सफल हो गए तो किसी भी तरीके से ऊपर से आप उनको नष्ट करने का प्रयास करेंगे ? तीसरा मेरा स्पष्टीकरण यह है कि जंगल की तरफ से पैरा मिलिटरी फोर्स और उस प्रदेश के दबाव में न आयें और उधर भी जो ईख के खेत हैं उनमें ईख पैदा नहीं करायें और जंगलों का दो-चार महीने के लिए काम्बिंग कर लिया जाए और उनकी रसद को खत्म कर दिया जाए तो कितने दिन आतंकदवादी जिंदा रहेंगे । क्या आप ऐसी कार्रवाई करेंगे ? आखिरी स्पष्टीकरण यह है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपने सीमित संसाधनों के तहत थानों की संख्या बढ़ाई, पुलिस चौकियों की संख्या बढ़ाई उन पर वायरलेस सैट लगाए,गाडिया वायरलैस सैट लगा कर पुलिस को दी गई, पुलिस का एलोकेशन बढाया, एक टास्क फोर्स लगाई एक आई.जी. के नेतृत्व में । कुछ ऐसी बातें हैं जो जनहित में सदन में नहीं बता सकता जो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है । लेकिन मुझे उत्तर प्रदेश की सरकार से भी शिकायत है । हमारे नेता यहां बैठे हैं । शिकायत है कि बन्दूक किन को दी जाती है । यह अनुसूचित जाति के लोग किस जाति के लोग हैं ? इस देश का कोई आदमी उनको हथियार नहीं देना चाहता है । रोज प्रश्न उठते हैं ।

एक माननीय सदस्य : क्यों नहीं ?

श्री संघ प्रिय गौतम : इसलिए कि ये नम्बर दो के नागरिक हैं । ये इस देश के वाशिन्दे हैं । क्या गृह मंत्री जी

आप स्पेशल प्रावधान करके इन लोगों को हथियार दिलवायेंगे केंद्रीय सरकार से ?

फिर आप देखिए क्या होता है । मैं आपके और सत्या बहिन जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि रायबरेली में बम विस्फोट में लोग मारे गए तो वहां प्रधान मंत्री कोश से 50–50 हजार रुपए दिए गए । वहां पर एक वर्ग के लोग थे और यहां पर दूसरे वर्ग के लोग मारे गए हैं। उनको प्रधान मंत्री ने एक पैसा भी नहीं दिया । क्या यह जानों की कीमत के मामले में भेद करना नहीं है । ? क्या यह सरकार का और प्रधान मंत्री का दोहरा मापदंड नहीं है ? क्या इस तरह से आप सम्प्रदायवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं ?

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : गौतम जी, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए । आप आतंकवाद के खिलाफ बोल रहे हैं । लेकिन आपके आतंकन से मैं स्वयं चिन्तित हो रहा हूं । इसलिए कि आप आखिरी वक्ता है, ऐसा न हो कि इस तरह से सदन की कार्यवाही कभी खत्म ही न हो।

श्री संघ प्रिय गौतम : मैं समाप्त कर रहा हूं । अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो आतंकवादी खत्म कैसे होंगे ?

श्रीमती सत्या बहिन : गौतम जी को एक कारबाइन दे दी जाय ।

श्री संघ प्रिय गौतम : कारबाइन से काम नहीं चलेगा । मेरे पास आत्म शक्ति है । जिस दिन गृह मंत्री ही जाऊंगा तो बता दूंगा ।

मेरा आखिरी प्रश्न है और चिंता का विषय है । गृह मंत्री जी को पहले भी सुझाव दिया गया है कि तुरन्त आप चीफ मिनिस्टर की और आपकी जो नैशनल इंटेग्रेशन कौंसिल है या जो डेवलपमेंट कौंसिल है या जो सेक्योरिटी कौंसिल है, उसकी आप तुरत बैठक बुला कर इस समस्या के समाधान पर गहन चर्चा करके कोई हल खोजने की चेष्टा करें ।

SHRI M. M. JACOB: Mr. Vice-Chairman, Sir, I am thankful to all the hon. Members who are still sitting in this House to listen to the reply to the clarifications sought by the hon. Members who, perhaps, due to unavoidable circumstances might have left the House for important work. Most of the suggestions made by the Members are valuable, and certainly the Government of India will take into consideration the valuable suggestions put forward by the Members while seeking clarifications.

There are also some pointed questions which I would try to answer, though not the whole question, because, Sir, as you know, this incident took place in the State of Uttar Pradesh and in the district of Pilibhit. So, essentially, the basic material has to come from the State Government, and the State Government has furnished us with a report. And when the hon. Members in the House demanded that there should be a statement on the incident, considering the importance and the dimension of the whole thing, we thought it appropriate to bring the statement before the House for your consideration and information. I am thankful to all the Members for that.

Sir, regarding the number of people killed due to terrorist violence, everybody knows it and I am not going to repeat the figures now. But now we are concerned about the Pilibhit incident in which 29 people lost their lives, including three women.

Sir, one question was asked right from the first speaker—and several Members repeated that—as to what happened to the weapons. Did you supply weapons to the Uttar Pradesh Government? Sir, in this connection, permit me to say that a question was raised: How do we get the weapons? Why not you supply the wea-

[Shri M. M. Jacob]

pons? The sources of supply of critical weapons like these which are either the ordnance factories or the supply from the Army which they receive. Both the sources are tried periodically. On some occasion, it may not be sufficient to meet our entire requirements. No AK-47 rifle is manufactured in India. We have to get it from other sources. Requirement of weapons in India is also increasing. Requirements of the various States are periodically assessed and we supply them weapons as per the requirements of a particular area. So, there cannot be a set yardstick for equal supply to all the States. We have to find out whether the supply is as per their requirement.

We had chosen three States in the first instance in the country during the last two years where we thought the incidents of militancy and terrorist violence are more. With regard to Uttar Pradesh, besides the normal support given by the Government of India for modernising the police force and making them more effective and more capable of striking, we provided ten crores of rupees to the Government of Uttar Pradesh only to meet this kind of requirement. We know it is not enough as an hon. Member was mentioning that Rs. 34 crores were required. Well, there are States like Assam where you have again to make enhanced supply of money and weapons. So also Punjab, as you know. One hon. Member asked as to how much we were able to give to U.P. for their police force. I may inform the House that in 1991-92, Rs. 244 lakhs were given exclusively for police modernisation, for equipment, for Gypsy vans, for tele-communication system and so on. In 1992-93, it was almost double, that is, Rs. 332 lakhs were given to the State of U.P. And this is besides the amount of Rs. 10 crores as a special grant.

I was wondering in a way that Uttar Pradesh Government is not very much short of police force. That is one of the well-established States with a good and strong police force. They have almost 1,60,000 police personnel, out of which 75,000 are in the armed constabulary. I know their strength of police force. Police force is there. What you need there is more training, and more capacity to be instilled into them. That is why I was happy when some hon. Members raised the question of further training and enhancement of the force and so on. This is precisely the reason why we suggested the constitution or formation of a new battalion called India Reserve Battalion where training will be organised and started by the Government of India. Not only training, but 50 per cent of the total amount required for this battalion will be made available by the Government of India as grant and 50 per cent, if the State Government is not in a position to provide, to meet the immediate expenditure, will be provided by the Government of India as loan on easy instalment basis. This is because we know that the State police has to be modernised and some kind of training is to be given. That is why, formation of India Reserve Battalion has been thought of. In this connection, forgive me when I say that the Ministry has requested the Government of U.P. through a letter to the Chief Secretary on 27-2-92 about the constitution and creation of India Reserve Battalion. Again the State Government was reminded about this proposal on 10-3-92. The State Government was again reminded on 30-3-92. I am referring to the dates because it is significant. Again, on 1-4-92, the Resident Commissioner of U.P. was requested to obtain a reply from the State Government. Then, the State Government was finally reminded on 21.4.92 and a copy of the reminder was endorsed to the Resident Commissioner on 23-4-92. The response from the State Government is still awaited. You have to see this in the background of what is happening. We have the figures. In the month of February, you find that 11 people were killed. In that month,

six policemen were also killed. In April, 35 people were killed, including two policemen. In May, 29 people were killed. In June, 10 people were killed, including two policemen. When we see these figures, we find that the situation is really alarming. Therefore, the Home Minister convened a meeting of the Chief Ministers of the concerned States on 29th February, to discuss the manner in which terrorism can be faced, if necessary, by a joint effort of the various States, or, individually, by the States, with the help, co-operation and assistance from the Central Government. I have said in my statement. It is very clear. We called a meeting of Directors-General of Police of all States, on 28th April, 1992, to consider the question of combating terrorism effectively by the States concerned, in co-ordination with the efforts taken by the Central Government.

I am not accusing anybody here. Every State has got its limitations and problems. The Central Government also has its problems and limitations, including getting the weapons required at the appropriate time. In regard to financial resources, of course, the States as well as the Centre have problems but we manage it somehow.

I am not happy when I see such things happening. But we have to face it. We will have to face it. I have mentioned in the statement what we are doing. Many Members asked this question: 'What are you doing now?' We have set up a permanent cell in the Home Ministry, headed by a Special Secretary, comprising responsible officers. This cell will be monitoring periodically, constantly, as to what is happening across the country in the matter of terrorism. We have requested the State Governments to create a cell there also so that it is easier for us to communicate, get reports and then immediately act.

Another question raised here was in regard to weapons. Mr. Chaturvedi said that the weapons supplied were not sufficient. I would just give the number of various weapons supplied. Rifles—.303-2,200; SLRs—7.62 mm. —4,900; Rifles — 7.62 mm.-500; SAF Carbine—9 mm.—2,250; Pistols—9 mm.—375; AK 47 rifles—200; and LMGs — 60. It is not sufficient. I agree. Normally, we do not disclose the number of weapons we are supplying. The State authorities know how much we are supplying, they know how much they are getting. Since a specific question was asked, I thought I would give it.

Sir, it is our endeavour to supply more. In fact, we are anxiously awaiting some more supplies so that we can supply to the States concerned and strengthen them much more because terrorism is not confined to one part or another. Though it is a global phenomenon, it has come to India only recently. It came to Europe and other countries much much earlier. We are facing it now. If we have to face it, all of us will have to stand united and face it.

Another question was in regard to information. Some Members, some hon. friends, were accusing the intelligence service. As the Members from U.P. have said, the Terai region is a dense forest. There are some problems. It is not easy for everybody to go around and find out things. Sometimes, even aerial survey may not be successful. It is a dense forest.

Even with helicopters, you cannot find out who is hiding where. The difficulties are there. Knowing fully well these difficulties, we share the information—which the Government of India gives—with our counterparts in the State Governments. Promptly we share it.

Sir, we had informed that the BTFK gang led by Satnam Singh China—about which a reference was made just now—was suspected to be

[Shri M. M. Jacob]

in that area. It was suspected—we had not seen him there. But the information was that he was somewhere in hat area. This information was duly shared by the Government of India with the State Government on 17th July 1992. It was also reported—according to our information—that a combing operation was conducted by the U.P. Government on 19th July in that area, but they were not able to find anything in that combining operaion. That is the report that I got—that they could not find anything. Somebody must have been hiding in the dense forest, in finding whom the combing operation might not have succeeded. So it shows that we have got to have very effective combing operations now. Come what may, we have got to have very effective, concentrated attempts to see that the terrorists are flushed out of the *terai* region. The Government of India is prepared to cooperate with the U.P. Government to any extent possible in this venture within its capacity and knowledge. Very shortly the Home Ministry will be having its Consultative Committee meeting, and if any Member is having any matter to be raised there, then we can certainly get the information sufficiently early and, we can also discuss, if time and the agenda permit, the details of such things. Otherwise we will consider it specially when we have the routine meetings with the Director-General of Police and through the cells which I have mentioned earlier.

About *post mortem*, questions were asked whether *post mortem* was held. So far I have no report about any *post mortem*. So I don't have any report about the *post mortem*, as to how they died. The U.P. Government says, it appears that it is hanging. Well, I am not ruling out what you say, but I am not upholding it either. In the absence of any evidence, I cannot go beyond that. But I appreciate the deep interest you are showing in this.

About compensation, I think, compensation is a matter for the State Government. I am told that they have paid Rs. 20,000 or something like that, but I don't have the full figure about compensaion. I can try to get it from them in due course as to how they are handling it and how much compensation they are giving. In certain States like Punjab, when terrorists attack and civilians are killed, the State Government gives some more amount as compensation. It varies from State to State.

श्री संघ प्रिय गौतम : स्टेट गवर्नमेण्ट इन्हें ? करने जा रही है कम्पेन्सेशन को ।

SHRI M. M. JACOB: It dpends on the States concerned. In some instances some States will be able to give more and some States may not be able to mobilize that much of funds for that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): I think Mr. Gautam has especially asked about the Prime Minister's Relief Fund.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Yes, not a single pie was given.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): He mentioned that point.

SHRI M. M. JACOB: Sir, I have seen that in such cases of terrorist killings, normally relief is not being given from the Prime Minister's Relief Fund because the State Governments have a plan for that and the State Governments are encouraged to rise to the occasion and we are even supporting that as and when required. But when a calamity takes place where relief operations are immediately required, then the Prime Minister's Relief Fund also takes care of it—even when some killings take place or accidents, calamities and floods take place, then some kind of relief has to be rushed. It is an

immediate relief. Otherwise we will have a well-considered, well-thought-out policy where every State Government will have to evolve a policy for compensating the families of the people who die in terrorist attacks.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Rae Bareli was not a natural calamity. Nor was it an accident. There was a bomb blast. ...(*Interruptions*)...

उपसभाध्यक्ष (शंकर दयाल सिंह) : गौतम जी सुन लीजिए।

SHRI M. M. JACOB: My information is that the funds for the Rae Bareli victims were given by the President of the Indian National Congress Party and Rs. 10,000 by Sheila Kaulji and another Rs. 5,000 by a welfare society. That is my information, of course, subject to correction.

Sir, I don't want to test your patience. You are the only patient Chairman who is sitting here. Many of the Members who asked questions, have gone.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): No, no, no, no. You can take time on this.

SHRI M. M. JACOB: This Government is fully committed to take every steps to combat terrorism, and there is no question of going back on it. We will raise our strength as much as possible and then meet the menace as successfully as possible and necessary.

Thank you very much, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): We shall meet again tomorrow, the 8th August, 1992, for a special sitting to mark the Fiftieth Anniversary of the Quit India Movement, fifteen minutes after the function in the Central Hall is over.

The House now stands adjourned till tomorrow.

The House then adjourned at fifty-two minutes past six of the clock, till Saturday, the 8th August, 1992.